राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	360/2020 गजानन्द / सुरजमल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/20	आज यह पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गयम जिसके नोटिस प्रतिवादी/अपीलान्ट्स को जारी किये गये। प्रतिवादी/अपीलान्ट्स के नोटिस तामिल होने के पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब हेतु लगायी गयी किन्तु प्रतिवादी/अपीलान्ट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23/05/2018 को उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी गयी एवं तहसील को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश जारी किये गये। तहसील से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16/10/2019 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गयी। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23/05/2018 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 16/10/2019 के विरुद्द दौ पृथक-पृथक अपीले इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08/09/2020 को प्रस्तुत की गयी। चूँकि दोनों अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत हुई। अत: अपीलों के साथ दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुये। दोनों अपीलों के रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। दोनों अपीलों के रेस्पो. की और से अभिभाषक उपस्थित आने पर उनके द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र दफा-5 कानून मियाद प्रस्तुत हुये। अत: दोनों प्रकरणों में दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे के वाद को लोक अदालत में लगाकर बगैर अपीलाट्स की सहमती के निर्णय पारित कर दिये गये जो न्याय की साधारण प्रक्रिया के विरुद्द है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में ना तो तनकीयात कायम की गयी, न ही विस्तुत विवेचन के आधार पर निर्णय पारित किया गया। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि यदपि अपीलार्थीगण दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे किन्तु बंटवारा उनकी सहमती के बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है जिसका ज्ञान अपीलान्ट्स को प्रथम बार दिनांक 21/08/2020 को मौके पर रेस्पो. संख्या -1 द्वारा धमकी दिये जाने से की उसने अपनी मनमर्जी के अनुसार विवादग्रस्त भूमि का बंटवारा करवा लिया है तत्तपश्चात अपीलाट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशो की नकलात प्राप्त कर अपीले जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाये जाकर दोनों अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर